SE (Comms)

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.
[COROPORATE IDENTITY NUMBER(CIN): L40109RJ2000SGC016485]
VIDYUT BHAWAN, JANPATH, JYOTI NAGAR, JAIPUR – 302 005.
PHONE NO. 0141-2740381/82
Website: www.rvpn.co.in

No. RVPN/Karmik/F.4(G)45/D. 272 Jaipur, dated 6/7/17

The Chief/Addl. Chief Engineer ( ),
Chief Controller of Accounts,
Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.,
Jaipur/Jodhpur/Ajmer.

Sub:- Merit Certificate to be awarded on the eve of Independence Day, 2017 by the state government.

With reference to above, while enclosing herewith a copy of letter, dated 20.07.2017 of Bureau of Public Enterprises, GOR, Jaipur, it is requested to kindly arrange to send proposals of officers/officials for awarding Merit Certificate by State Government on eve of Independence Day.2017 (15th August 2017), in the prescribed format, on or before 14th July, 2017, to this office for further needful.

Encl :- As above.

(Pukhraj Sen)
Secretary(Admn.)

Copy to the following for information and necessary action:

1. JLR, RVPN, Jaipur
2. OSD(Telecom),RVPN,Jaipur
3. Company Secretary,RVPN,Jaipur
4. JDP/DDP(HQ),RVPN,Jaipur
5. Superintending Engineer (HRD),RVPN,Jaipur
6. JS(Pension)/DS(GAD)/AS(Estt.-I/II/III/APA),RVPN,Jaipur
7. AO(Admn.-Store)/PRO/SA,RVPN,Jaipur
8. PS/PA to CMD/Dir.(Tech./Opr./Fin.)/Secretary(Admn.),RVPN,Jaipur

Secretary(Admn.)

CMD/T/RR 1292
Date 27/6/17

राजस्थान सरकार
राजकीय उपक्रम विभाग

K.R. No JOP/RVPN/ 1219
Dated 29-6-17

राजकीय उपक्रम ब्यूरो

27 JUN 2017

विषयः– राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2017 (15 अगस्त 2017) के अवसर पर योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने बाबत।

आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह *15 अगस्त, 2017* को आयोजित किया जावेगा। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपकमों में कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र स्वीकृति नियम 1990 के अधीन राजकीय उपकमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी विशिष्ठ सेवाओं के उपलक्ष में योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जावेंगें, जिनके लिए प्रस्ताव सदैव की भांति विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन नियोजित राजकीय उपकमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में उनके कैरियर के संबंध में विवरण तथा राजकीय कर्मचारी की सेवाऐं किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्व हुई, का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रशासनिक सचिव की टिप्पणी एवं संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में (छः प्रतियों में) दिनांक 20.07.2017 तक अवश्यमेव राजकीय उपकम ब्यूरो को भिजवाया जावे ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

प्रस्ताव भिजवाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन्हें पूरा करके ही प्रस्ताव भेजा जावे अन्यथा प्रस्ताव पर विचार किया जाना व्यवाहारिक नहीं होगा–

1. प्रस्ताव प्रशासनिक सचिव की सिफारिश व संबंधित मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर भेजें।
2. प्रस्ताव के साथ गत सात वर्षों (यथा वर्ष 2010–2011 से 2016–17 तक) के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन परमावश्यक रूप से भेजे। विभाग द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन "उत्कृष्ट" श्रेणी तथा शेष "बहुत अच्छा" श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव प्रेषित किये जायें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्रस्ताव छः प्रतियों में प्रेषित करें।
4. प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियां पूर्ण करें।
5. प्रस्ताव के साथ प्रशस्ति पत्र हिन्दी भाषा में छः प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
6. एक विभाग/संस्था से केवल एक ही अधिकारी/कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।

J.D.P

7. प्रपत्र में कालम 5 भी गोपनीय प्रतिवेदन देखकर प्रमाणित करें।

8. जिनकों पूर्व में योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है, उनके प्रस्ताव नहीं भेजें तथा प्रत्येक प्रस्ताव भेजते समय यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

9. प्रस्ताव अ.शा. टीप के साथ यह उल्लेख करें कि "इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है" प्रेषित किये जावें।

प्राप्त प्रस्तावों पर गठित समिति विचार–विमंश कर योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु नामों की सिफारिश करेंगी।

संयुक्त शासन सचिव

अ. शा. टीप एफ2(1)बीपीई/02/भाग-III/वॉ–2/2015/328 जयपुर, दिनांक 20/6/2017

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव.......................................विभाग।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रमों को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही इस विभाग को प्रेषित करें। सीधे आने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार का विचार किया जाना संभव नहीं होगा। कोई भी अधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव स्वयं अपने स्तर से तैयार कर प्रेषित नहीं करेंगें। ये प्रस्ताव उनके उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही तैयार कर प्रस्तुत किये जावेंगें। प्रस्ताव निर्धारित समय निकल जाने के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जावेंगें।

संयुक्त शासन सचिव

राजकी

राजकीय उपकमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ दी जाने वाली सूचना।

....

1. (क) नाम

(ख) पद नाम, पे बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं ग्रेड पे सहित

(ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किये गए पद

(घ) सेवा का नाम राजपत्रित/अराजपत्रित

(ड़) घर का पता

(च) टेलिफोन नम्बर (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं.(यदि कोई हो तो)

2. जन्म तिथि

3. सरकारी सेवा में प्रवेश की दिनांक

4. ऐसे कार्यों से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यार्थी को चयन के लिए विचार किया गया है।

5. विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

क)अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है।

ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दंडित नहीं किया गया है।

6. विभागा द्वारा अग्रेषण टिप्पणी।

7. प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा।

8. पूर्व में यदि योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है तो उनका विवरण:

9. अन्य कोई सुसंगत सूचना।

विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर